दिनांक 15.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 21/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना साइबर क्राइम

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **6440 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन, 07 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक**
- **01 स्कार्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना साइबर क्राइम फतेहपुर एवं थाना औंग व कल्यानपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना औंग क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–अमित उर्फ विक्रान्त सहित अभियुक्त 2–हरीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 6440 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 07 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक, 01 स्कार्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अमित उर्फ विक्रान्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहपुर, हापुड़, अलीगढ़ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना साइबर क्राइम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमित उर्फ विक्रान्त निवासी नयादरगंज थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–हरीश निवासी शाहपुर खुर्द थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–6440 रूपये नगद।

2–04 मोबाइल फोन, 07 डेबिट/क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक।

3–01 स्कार्पियो वाहन (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **13 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के 146 पाइप डीआई**
- **04 हजार 24 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार, 01 आइसर कैन्टर, 01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना सादाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोविन्दपुर टोल प्लाजा के पास से 13 अभियुक्तों 1–हाकम 2–अब्बास 3–शोकीन 4–वारिश उर्फ कल्ला 5–याहाया उर्फ बन्ने 6–शमसाद 7–नासिर 8–आलम 9–मुस्तकीम 10–रिजवान खाँ 11–बाजिद 12–शारुख 13–संजीत को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के 146 पाइप, 04 हजार 24 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार, 01 आइसर कैन्टर, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11/12.10.2024 की रात्रि थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पाइप डीआई चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हाकम निवासी बदोपुर सरकारी स्कूल के पास थाना नूँह जनपद नूँह हरियाणा।

2—अब्बास निवासी अगोन थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूँह हरियाणा।

3—शोकीन निवासी रावली थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

4—वारिश उर्फ कल्ला निवासी रीगढ थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

5—याहाया उर्फ बन्ने निवासी नगली थाना नूँह जनपद मेवात हरियाणा।

6—शमसाद निवासी गोलपुरी थाना नूँह जिला नूँह मेवात हरियाणा।

7—नासिर निवासी रीगढ थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

8—आलम निवासी गोलपुरी थाना नूह जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

9—मुस्तकीम निवासी गोलपुरी थाना नूँह जनपद नूँह हरियाणा।

10—रिजवान खाँ निवासी गोलपुरी थाना नूँह जनपद नूँह मेवात हरियाणा।

11—बाजिद निवासी बदोपुर सरकारी स्कूल के पास थाना फिरोजपुर झिरका जनपद नूँह हरियाणा।

12—शारुख निवासी गोलपुरी थाना नूंह जनपद नूँह हरियाणा।

13—संजीत निवासी सालवारी थाना फलाकटा जनपद अलीपुर द्वार (पश्चिम बंगाल)

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 16 लाख रूपये कीमत के चोरी के 146 पाइप डीआई।

2—04 हजार 24 रूपये नगद, 07 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार, 01 आइसर कैन्टर, 01 ट्रक आदि।

जनपद रामपुर/थाना स्वार

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 14.10.2024 को थाना स्वार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जालफनंगला के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर

जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अकरम 2–रिजवान घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–राशिद 4–शौकीन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना स्वार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अकरम निवासी मो0रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जनपद रामपुर।

2–रिजवान निवासी ग्राम लाडपुर सेमरा थाना स्वार जनपद रामपुर।

3–राशिद निवासी मो0रसूलपुर कस्बा व थाना स्वार जनपद रामपुर।

4–शौकीन निवासी जगन्नाथपुर थाना बाजपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

<u>बरामदगी</u>

1–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद औरैया/थाना बेला</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 35 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 15.10.2024 को थाना बेला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भवानीपुर के पास से अभियुक्त दीपक कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 35 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.10.2024 को थाना बेला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बेला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बेला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी भवानीपुर थाना बेला जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—चोरी के 35 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय मिस/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 15.10.2024 को थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मनीष उर्फ मंगल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय मिस/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष उर्फ मंगल निवासी रजापुर थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय मिस/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना एका (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना एका पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पुनीत कुमार को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बिजनौर/थाना किरतपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बिजनौर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुशील कुमार को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना नारखी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–लेखपाल 2–सुजान को 10–10 वर्ष के कारावास व 21–21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मंतोष 2–किस्मत को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुटार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना खुटार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद/थाना टूण्डला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना टूण्डला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राहुल को 10 वर्ष के कारावास व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————